बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–3/स्था0 नियमावली–02/2017– 21– (3) रा०, पटना–15, दिनांक– 11/1/18

विषय :– बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) एवं समकक्ष ग्रेड के 711 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) एवं समकक्ष ग्रेड के राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) के 572 पद, वेतनमान–5000.00–8000.00 में स्वीकृत हैं।

2 वर्त्तमान में राज्य के सभी जिलों में भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों/अंचलों में चकबंदी का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। वर्त्तमान में पदाधिकारी की कमी के कारण राज्य के मात्र 39 अंचलों में चकबंदी का कार्य संचालित है। इसी प्रकार पदाधिकारियों की कमी के कारण वर्त्तमान में भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्राथमिकता के आधार पर मात्र 9 जिलों में यथा–नालन्दा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल एवं शेखपुरा में सम्पादित किया जा रहा है। इसके साथ ही दाखिल खारिज का ऑन–लाईन पद्धति से निष्पादन से संबंधित कार्य राज्य के शहरी अंचलों में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिसके पश्चात् राज्य के अन्य सभी अंचलों में भी ऑन–लाईन पद्धति से दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया जाना है। इसके अतिरिक्त रैयतों से ऑन–लाईन लगान की वसूली किये जाने से संबंधित कार्य प्रारम्भ किया जाना है एवं रैयतों को भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र भी ऑन–लाईन निर्गत किया जाएगा। पदाधिकारियों की कमी के कारण वर्त्तमान में राज्य के कई अंचलों में अंचल अधिकारी का पद रिक्त है। उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है, लेकिन पदाधिकारियों की कमी के कारण सभी जिलों में स्वीकृत बल के अनुरूप कानूनगो, भू–अर्जन का पदस्थापन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

3. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) एवं समकक्ष ग्रेड के 886 स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत राजस्व अधिकारियों को उच्चतर पदाधिकारियों की कमी के कारण प्रोन्नति के पदों पर यथा–अंचल अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं चकबंदी पदाधिकारी के पदों पर कार्य करने का प्रभार कार्य–हित में दिया गया है, जिसके कारण बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि का अर्थात राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) एवं समकक्ष ग्रेड का पद राज्य के अधिकांश अंचलों, बन्दोबस्त कार्यालयों, चकबंदी कार्यालयों एवं जिला भू–अर्जन कार्यालयों में रिक्त है।

4. राज्य के सभी 534 अंचलों, सभी बन्दोबस्त कार्यालयों एवं सभी चकबंदी कार्यालयों में कार्यरत प्रभारी अंचल अधिकारियों, प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं प्रभारी चकबंदी पदाधिकारियों के अधीनस्थ कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर रिक्ति होने के

कारण अंचलों, बन्दोबस्त कार्यालयों एवं चकबंदी कार्यालयों में राजस्व प्रशासन के कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है।

अतः मंत्रिपरिषद् द्वारा दिये गई स्वीकृति के आलोक में बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के स्वीकृत 886 पदों के अतिरिक्त कुल–711 पदों का सृजन किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	पद का नाम	कार्यालय का नाम	कुल पद
1	*2*	*3*	*4*
1	राजस्व अधिकारी	सभी 534 अंचल कार्यालय	534
2	राजस्व अधिकारी	सभी 38 अपर समाहर्त्ता का कार्यालय में दो–दो राजस्व अधिकारी	76
3	राजस्व अधिकारी	सभी 101 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय में एक–एक राजस्व अधिकारी	101
		कुल	711

5. पद सृजन के पश्चात् नियुक्त होने वाले राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के अधिकारियों का वेतनमान एवं अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या से संबंधित विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	पद का नाम	वेतनमान	ग्रेड पे0	कुल पदों की संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद	9,300.00–34,800.00 (छठा वेतन पुनरीक्षण आयोग द्वारा यथा निर्धारित)	4,200.00	711

6.. इन पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी एवं राजस्व प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर पदस्थापन किया जाएगा, जिस पर कुल वार्षिक व्यय रू0–32,44,63,428.00 (बतीस करोड़ चौवालीस लाख तीरसठ हजार चार सौ अठाईस) अनुमानित है। (परिशिष्ट–"**क**")।

7. **पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय का भुगतान मुख्य शीर्ष–2029, भू–राजस्व–104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध 0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।**

8. बिहार राजस्व नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्ग में नियुक्ति, पदोन्नति एवं अन्य शर्त्तें यथावत रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–3 / स्था0 नियमावली–02 / 2017– 21 (3) रा०, पटना–15, दिनांक– 11/1/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को दो प्रतियाँ तथा सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 2000 (दो हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–3 / स्था0 नियमावली–02 / 2017– 21 (3) रा०, पटना–15, दिनांक– 11/1/18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–3 / स्था0 नियमावली–02 / 2017– 21 (3) रा०, पटना–15, दिनांक– 11/1/18

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फैक्स / ई–मेल

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–3 / स्था0 नियमावली–02 / 2017– 21 (3) रा०, पटना–15, दिनांक– 11/1/18

प्रतिलिपिः–प्रबंधक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधित को अधिसूचना की प्रति ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

परिशिष्ट–''क''

क्र0	पद का नाम	लेवल/ग्रेड पे/पे–बैण्ड	मूल वेतन (ग्रेड पे सहित)	महंगाई भत्ता 4 %	चिकित्सा भत्ता	मकान किराया भत्ता 7.5 %	योग (एक माह का अनुमानित व्यय)	एक वर्ष का अनुमाति व्यय	पदों की संख्या	कुल अनुमानित वार्षिक व्यय
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष	लेवल–6/ ग्रेड वेतन–4,200.00/ 9,300.00 –34,800.00	35,400.00	1,416.00	200.00	1,013.00	38,029.00	4,56,348.00	711	रू0–32,44,63,428.00

(बत्तीस करोड़ चौवालीस लाख तिरसठ हजार चार सौ अठाइस रूपये मात्र)

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,